

तारीख हुक्म

30-7-21

उभय पक्ष कार्य से
पत्रावली दिनांक 17.8.21 को पेश हो।

जारीसीन अधिकारी राजकीय विकास पर है / पदरिक्त है
रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

17-8-21

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपास्थित विपक्षीगण 1 लगायत 6, 8 के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शां पठ किये गये। वकील प्रार्थीगण विपक्षी सं 7 के विकट कौर्ब कार्यवाही नहीं चाहते हैं। तहसीलदार माण्डल पटवार हल्का पीपास द्वारा भौका विवाह प्राप्त हुई जिसे शां पठ किया गया। विपक्षीगण को कितनी भर्त्सा आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपास्थित नहीं इनके विकट एक वरफा कार्यवाही किये जाने के अडेश दिये जाते हैं वकील प्रार्थीगण ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथकसे लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर अन्तरसे कम हो।

विपक्षी सं 7 के विकट कौर्ब कार्यवाही नहीं करनी चाही
17.8.21

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला नारायणवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सेना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 211/20 प्रा.पत्र

1- श्री अकलाल सो. श्री अलाल गाली निवासी- पीथास तहसील- माण्डल (बीरा)

- प्रार्थी

बनाम

1- श्री भोपाल सो. श्री अकलाल अलाल गाली निवासी- पीथास तहसील- माण्डल (बीरा)
(सहायक प्रा.पत्र संख्या)

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 17.8.21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पीथास पटवार हल्का पीथास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 2844, 2845, 2846, 2847 कुल कित्ता 04 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पीथास पटवार हल्का पीथास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2844, 2845, 2846, 2847 कुल कित्ता 04 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीथास को 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षाकरान की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा